# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

**पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)**

**प्रकरण संख्या– 360/2016**

बउनवान

कृष्णमुरारी पुत्र नारायण जाति–माली निवासी कोयला
तहसील–बारां जिला–बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां (रेस्पोंडेंट)

**अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956**

उपस्थिति :–1. श्री ओमप्रकाश मेहता ।।।, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

**निर्णय दिनांक 29.11.2017**

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 25.04.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–कोयला, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 3034/3534 रकबा 0.24 हैक्टर किस्म बंजड पर अतिक्रमी मानकर 120/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एंव तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है दो वर्ष पूर्व अपीलांट द्वारा उक्त आराजी से कब्जा हटा लिया था। वर्तमान में उक्त आराजी से संबंधित कोई नोटिस प्रार्थी/अपीलांट के नाम नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय का काल्पनिक तौर पर अपीलांट का उक्त आराजी पर कब्जा मानता है तो सत्यापन कराया जाना न्यायोचित है। हल्का पटवारी ने मौक पर जाकर अपीलांट को कभी नहीं बताया कि आपका अमुक स्थान पर कब्जा है, हल्का पटवारी द्वारा ने काल्पनिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.4.2014 निरस्त फरमाया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से दो वर्ष से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। हल्का पटवारी द्वारा काल्पनिक आधार पर अतिक्रमण की रिपोर्ट की है, इसी रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया है। अपीलांट उक्त आराजी पर पश्चात्‌वर्ती नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.4.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्‌वर्ती अतिकमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 250/2011 निर्णय दिनांक 11.3.2011 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उक्त आराजी पर उसका कोई कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 490/14 में पारित निर्णय दिनांक 25.4.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 25.4.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.4.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Web Copy - Not Official